संख्या-30/2015/1481 सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 23 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के अधिष्ठान, आर्वतक तथा अनावर्तक व्यय की मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 03.06.2015 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **कार्यसूची संख्या-4** के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के अधिष्ठान व्यय, आवर्तक व्यय, अनावर्तक व्यय की मदों हेतु **संलग्न विवरण के अनुसार रु0 26,18,58 हजार (रूपये छब्बीस करोड़ अट्ठारह लाख अट्ठावन हजार मात्र)** को आहरित कर निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को उपलब्ध कराने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस -2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लें कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का शासनादेशों/नियमों में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से कोई अन्य व्यय वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

--------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

6- आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

7- उ0प्र0 शक्कर फैक्ट्रियाँ पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष समिति को भुगतान, उ0प्र0 के अभावग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान एवं उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान से आहरित की जाने वाली धनराशि का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में अवश्य कर लिया जाये।

8- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि **रू0 26,18,58 हजार (रूपये छब्बीस करोड़ अट्ठारह लाख अट्ठावन हजार मात्र) को** चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर) के लेखा शीर्ष-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301-उ0प्र0 गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे **रू0 1,86,58 हजार (रू0 एक करोड़ छियासी लाख अट्ठावन हजार मात्र),** अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर) के लेखा शीर्ष-**''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-03-उ0प्र0 शक्कर फैक्ट्रियाँ पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे **रू0 9,12,00 हजार (रूपये नौ करोड़ बारह लाख मात्र)**, अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर) के लेखा शीर्ष- **''2852- उद्योग-08- उपभोक्ता उद्योग-**

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

201-चीनी-04-उ0प्र0 के अभावग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के **नामे रू0 11,40,00 हजार (रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख मात्र)** तथा अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर) के लेखाशीर्ष- **''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-05-उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे **रू0 3,80,00 हजार (रू0 तीन करोड़ अस्सी लाख)** डाला जायेगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-30/2015/1481 (1)सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-30/2015/1481 सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014दिनांक 23 जून, 2015

का संलग्नक

(वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु)

अ - अधिष्ठान व्यय:-

क्र0सं0	मद का नाम	धनराशि (लाख रू0 में)
1	वेतन एवं अन्य व्यय	747.85
2	महंगाई भत्ता	858.30
3	अन्य भत्ते	107.83
4	यात्रा भत्ता	19.00
5	पेंशन अंशदान	6.25
6	पेंशनरी/अवकाश अंशदान	5.00
7	मानदेय	3.00
8	अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना (गन्ना) अंशदान	17.75
9	सेवा निवृत्ति अवकाश नकदीकरण/ग्रेच्युटी	108.05
10	पारिश्रमिक का भुगतान	25.00
11	पेंशन हेतु प्राविधान	50.00
12	मा0 उपाध्यक्ष महोदय हेतु मानदेय, जलपान, कार्यालय व्यय आदि	18.00
	योग	**1966.03**

ब -आवर्तक व्यय:-

1	विद्युत व्यय	132.00
2	प्रयोगशाला आपरेशन	45.00
3	सम्परीक्षा शुल्क	1.00
	योग	**178.00**

स- अनावर्तक व्यय:-

1	आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत	368.45
2	उपकरण, कृषि यंत्र, एवं शोध जर्नल्स आदि	55.00
3	केन्द्रीय प्रयोगशाला	20.00
4	सेन्टर बायोटेक्नोलोजी एवं चीनी उत्पादकता के परिपे्रक्ष्य में क्यू0 टी0 एल0 विश्लेषण तथा जीन मैंपिंग हेतु	26.10
5	गन्ना उपज एवं चीनी परता में वृद्वि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों के स्तर का प्रबन्धन	5.00
	योग	**474.55**
	महायोग (अ + ब + स)	**2618.58**

(रुपया छब्बीस करोड़ अट्ठारह लाख अट्ठावन हजार मात्र)

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in